कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 560 /11सी–हरदोई, दिनांक, लखनऊ, सितम्बर 15, 2016

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

विषय : हरदोई में पलिया–लखनऊ मार्ग (एस0एच0–25) किमी0 180–181 के मध्य दायीं पटरी पर ग्राम–खजूरमई के खसरा सं0 349 पर इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भः आपके कार्यालय का पत्रांक–1480/14–10–4, दिनांक 07.09.2016

महोदय,

विषयक प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्रथमदृष्टया अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ अनेकों सूचनायें तथा अभिलेख पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

1– प्रभागीय निदेशक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर संस्तुति अंकित नहीं है।

2– क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन सुसंगत नहीं है। इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दि0 09.09.16 द्वारा निर्गत दरों के अनुसार संशोधित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न नहीं है।

3– प्रस्ताव के पृष्ठ–33 पर संलग्न एन0पी0वी0 की वचनबद्धता सुसंगत नहीं है।

4– चिन्हित वन स्वरूप भूमि सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रयोक्ता एजेंसी के स्थान पर प्रभागीय निदेशक की ओर से संलग्न करें।

5– मक डिस्पोजल योजना प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।

6– प्रस्ताव के साथ संलग्न पावर आफ अटार्नी सत्यापित नहीं है।

7– ऑनलाइन पार्ट–3 की प्रति संस्तुति अंकित कर प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।

8– आफलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–1(6) एव 4 पर अंकित सूचना त्रुटिपूर्ण है।

9– ऑनलाइन पार्ट–2 के Additional Information Details में कोई अभिलेख अपलोड नहीं है। समस्त अभिलेख यथा : प्रस्तावित वनभूमि की गणना, FRA के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र, एन0पी0वी0 की गणना, क्षतिपूरक वनीकरण स्थल का निर्धारित प्रारूप में उपयुक्तता आदि अभिलेख अपलोड करें।

10– पृष्ठ–31 पर संलग्न अभिलेख में अंकित क्षेत्रफल त्रुटिपूर्ण है।

11– पृष्ठ–40 पर संलग्न अभिलेख प्रभागीय निदेषक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।

12– उपरोक्त सूचनाओं को पूर्ण करने के उपरान्त प्रस्ताव के साथ संलग्न अभिलेखों एवं विषय–सूची पर पृष्ठ संख्या संशोधित करें।

उपरोक्तानुसार इंगित सूचनाओं को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियॉ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें तथा ऑनलाइन एवं आफलाईन सूचनाओं को पूर्ण कर बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अपूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को कदापि न प्रेषित किया जाय।

भवदीय,

(अरविन्द गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 560 / उक्त दिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, हरदोई को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार इंगित सूचनाओं को पूर्ण कर बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि सहायक प्रबन्धक(रिटेल सेल्स), इण्डियन ऑयल भवन, कपूरथला लखनऊ को इस आशय से कि सम्बन्धित सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय निदेशक, हरदोई को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

19/16

(अरविन्द गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।